खबर संक्षेप

पशुपालन मंत्री पटेल ने जयपुर के गौ-पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया का भ्रमण किया

भोपाल। पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने बुधवार को गो-पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया, जयपुर का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गौ-शाला परिसर में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, आईओसीएल के गैस प्लांट, मिल्क पार्लर आदि को देखा। उन्होंने गायों की देखभाल एवं साफ-सफाई व्यवस्था का अवलोकन भी किया। मंत्री पटेल ने गौ-शाला परिसर में वृक्षारोपण भी किया। भ्रमण के दौरान मंत्री पटेल के साथ राजस्थान पशुपालन विभाग के निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक और गौ-शाला के प्रबंधक मौजूद थे। गौ-शाला का संचालन कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। गौ-पुनर्वास केन्द्र हिंगोनिया लगभग 3 हजार 200 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 70 बाड़े हैं, जिनमें एक हजार 300 नंदी सहित कुल 17 हजार 500 गौ-वंश है। गौ-शाला में गोबर से संवर्धित सीएनजी गैस प्लांट स्थापित है, जिसकी उत्पादन क्षमता 400 किलोग्राम सीएनजी प्रतिदिन है। गौ-शाला के 200 बीघा क्षेत्र में नेपियर घास का उत्पादन किया जाता है। गौ-शाला का दुग्ध उत्पादन 2 हजार लीटर प्रतिदिन है। यहां गोबर से गौ-काष्ठ, दीपक, गमले, जैविक खाद तथा दूध से दही, पनीर, घी और मिठाई बनाई जाती है। गौ-शाला परिसर में ग्रामीण बहुउद्देशीय आधुनिक पशु चिकित्सालय स्थापित है, जो 24 घंटे संचालित रहता है।

उन्नत कृषि से किसानों को अधिक मुनाफा: कृषि उत्पादन आयुक्त वर्णवाल

भोपाल। कृषि उत्पादन आयुक्त अशोक वर्णवाल ने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकें अपनाने, फसलों के विविधीकरण तथा खेती के साथ पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन आदि गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और किसानों के खेत पर जाकर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराएं। कृषि उत्पादन आयुक्त वर्णवाल ने बुधवार को नर्मदा भवन में रबी वर्ष 2024-25 की समीक्षा और खरीफ 2025 की तैयारियों संबंधी भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग की संयुक्त बैठक ली। बैठक में प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुपम राजन, प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास डी.पी.आहूजा, सचिव कृषि एम.सेलवेन्द्रन, सचिव पशुपालन एवं डेयरी डॉ. सत्येन्द्र सिंह, संभागायुक्त भोपाल संजीव सिंह, संभागायुक्त नर्मदापुरम कृष्णगोपाल तिवारी आदि उपस्थित थे। बैठक में बताया गया कि खरीफ 2024 में भोपाल जिले में एक लाख 7 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 28 हजार हेक्टेयर में धान, 8 हजार हेक्टेयर में मक्का तथा 1600 हेक्टेयर में अरहर बोई गई थी। इसी प्रकार रायसेन जिले में 58 हजार 932 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 2 लाख 74 हजार 547 हेक्टेयर में धान, 16 हजार 489 हेक्टेयर में मक्का तथा 15 हजार 193 हेक्टेयर में अरहर, विदिशा जिले में तीन लाख 82 हजार 250 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, एक लाख 2 हजार 528 हेक्टेयर में धान, 28 हजार 301 हेक्टेयर में मक्का तथा सीहोर जिले में 3 लाख 20 हजार 920 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 32 हजार हेक्टेयर में मक्का तथा एक हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अरहर बोई गई थी। इस वर्ष धान के क्षेत्र में कमी तथा सोयाबीन और अरहर के क्षेत्र में वृद्धि की संभावना है।

ब्लड बैंक एवं ब्लड सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ

ब्लड सेपरेशन यूनिट रीवा में स्वास्थ्य सेवाओं को करेगी सुदृढ़: उप मुख्यमंत्री शुक्ल

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि रीवा मेडिकल हब बन रहा है और ऐसे समय में ब्लड सेपरेशन यूनिट रीवा के लिये बड़ी सौगात है। यह सेवा स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेगी। ब्लड सेपरेशन यूनिट में एक व्यक्ति द्वारा दिये गये रक्तदान से चार व्यक्तियों की रक्त की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने रेडक्रॉस भवन रीवा में भारतीय रेडक्रास सोसायटी द्वारा संचालित किये जाने वाले ब्लड बैंक एवं ब्लड सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि संजय गांधी अस्पताल के अतिरिक्त रेडक्रास सोसायटी का ब्लड बैंक व ब्लड सेपरेशन यूनिट मरीजों को रक्त उपलब्धता में सहायक होगा। उन्होंने लोगों से बढ़-चढ़ कर रक्तदान करने की अपील की। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि मैंने भी लगभग 30 बार रक्तदान किया है। रक्तदान से किसी जरूरत मंद की मदद होती है। उन्होंने कहा कि आगे बढ़कर रक्तदान करें जिससे ब्लड बैंक में पर्याप्त रक्त की उपलब्धता रहे व जरूरतमंद को सुविधा से ब्लड मिल सके। उन्होंने कहा कि रीवा में संजय गांधी अस्पताल के पुर्नरूद्धार एवं नवीनीकरण के लिये 325 करोड़ रूपये तथा नवीन मशीनों की स्थापना के लिये 100 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। रीवा में 200 विस्तर का कैंसर अस्पताल निर्माणाधीन है। इन सब उपलब्धियों के साथ ब्लड सेपरेशन यूनिट का अपना विशेष महत्व रहेगा। उन्होंने यूनिट की स्थापना के लिये रेडक्रास के चेयरमैन व पदाधिकारियों द्वारा किये गये प्रयासों के लिये साधुवाद दिया तथा इसके व्यवस्थित संचालन की अपेक्षा की। यह ब्लड सेपरेशन यूनिट 24 घंटे कार्य करेगी। यहां रक्त को चार भागों में विभक्तीकरण कर मरीजों को उपलब्धता सुनिश्चित कराई जायेगी। अध्यक्ष नगर निगम व्यंकटेश पाण्डेय, भारतीय रेडक्रास सोसायटी रीवा के चेयरमैन डॉ. प्रभाकर चतुर्वेदी सहित रेडक्रास सोसायटी के पदाधिकारी, सदस्य, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि व गणमान्यजन एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जलगंगा संवर्धन अभियान से पुनर्जीवित हुई भोपाल की 'बड़े बाग़ की बावड़ी'

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा प्रारंभ किए गए जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत, भोपाल की ऐतिहासिक धरोहर 'बड़े बाग़ की बावड़ी' को नवजीवन मिला है। यह सफलता केवल विकास और जल संरचना के पुनरुद्धार की नहीं, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण की भी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के पर्यावरण संरक्षण दृष्टिकोण और जल संरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध नेतृत्व ने इस अभियान को जन-आंदोलन का रूप दिया है। करीब 200 वर्ष पूर्व निर्मित यह बावड़ी भोपाल की सबसे बड़ी बावड़ी है, बड़े बाग का कुल क्षेत्रफल 32 एकड़ है और यहां कई जल संरचनाएं हैं, उनमें से इसह बावड़ी की गहराई 60 फीट है। बावड़ी दो मकबरों के मध्य स्थित है यह बावड़ी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण भी है। जिला प्रशासन एवं नगर निगम भोपाल द्वारा इस बावड़ी की सफाई, सिल्ट हटाने, खरपतवार उन्मूलन, दीवारों और सीढ़ियों की मरम्मत, रंगाई-पुताई तथा सुरक्षा जाली लगाने जैसे कार्य तेज़ी से किए गए।

भोपाल शहर में सड़क सुरक्षा को लेकर विभिन्न एजेंसियों की हुई बैठक

आयुक्त नगरीय प्रशासन ने बेहतर समन्वय के दिये निर्देश

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

भोपाल शहर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं सड़क सुरक्षा को लेकर बुधवार को आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री संकेत भोंडवे की अध्यक्षता में पालिका भवन में बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं जैसे गृह, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्मार्ट सिटी, नगर निगम भोपाल, कलेक्टर कार्यालय भोपाल, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चरके प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में आयुक्त नगरीय प्रशासन ने भोपाल शहर में विभिन्न सड़क निर्माण एजेंसियों द्वारा बनायी जा रही सड़कों की संरचना एवं संकेतकों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने एजेंसियों के प्रतिनिधियों से कहा कि राजधानी भोपाल की सड़कें सुरक्षा मानकों के अनुरूप होना चाहिये। उन्होंने इण्डियन रोड कांग्रेस के दिशा-निर्देश के अनुसार संकेत एवं मॉर्किंग अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिये। आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री भोंडवे ने एजेंसियों को निर्देशित किया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र की सड़कों पर यूनिफार्म स्टेण्डर्ड का पालन करें और नियमित रूप से रख-रखाव की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। बैठक में सड़क निर्माण से जुड़े अभियंताओं, विशेषज्ञों और सलाहकारों को इंस्टीट्यूट ऑफ हाईवे इंजीनियर्स से प्रशिक्षण प्राप्त करने की सिफारिश की गयी। बैठक में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और विज़न-2047 के अनुरूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तैयार करने के संबंध में भी सुझाव दिये गये।

आपातकाल: स्वर्णिम लोकतंत्र का काला अध्याय

धर्मेन्द्र सिंह लोधी
पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संविधान लोकतंत्र का रक्षक, क्योंकि संविधान लोकतांत्रिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की आधारशिला है, किंतु 25 जून 1975 से 31 मार्च 1977 तक का कालखंड ऐसा था, जब देश में सत्ताधारी नेताओं द्वारा इन सभी मूल्यों का गला घोंटा गया। संवैधानिक शब्दावली में इस कालखंड को आपातकाल कहा गया परंतु इतिहास में इसे 'स्वर्णिम लोकतंत्र के काले अध्याय' के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए न केवल संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया, बल्कि नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को स्थगित करके भारतीय लोकतंत्र की आत्मा पर भी कुठाराघात किया। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' के नारे पर भारी बहुमत से चुनाव अवश्य जीता, लेकिन 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रायबरेली से उनके निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया और 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिये भी अयोग्य ठहरा दिया। उच्च न्यायालय के इस निर्णय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के पद को खतरे में डाल दिया। अपनी सत्ता को बचाने की लाचारी और राजनीतिक वर्चस्व की भूख ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल का यह निर्णय किसी राष्ट्रीय संकट के कारण नहीं बल्कि श्रीमती गांधी की सत्ता लोलुपता से प्रेरित था। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर उन्होंने देश को आपातकाल के अंधकार में धकेल दिया। संवैधानिक प्रावधानों के तहत देश में आपातकाल मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाना चाहिए, परंतु श्रीमती गांधी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 26 जून 1975 को सुबह 6:00 केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर मंत्रियों को बताया कि मध्य रात्रि के बाद से देश में आपातकाल लगा दिया गया है। कुल मिलाकर देश में आपातकाल लागू करने के बाद और देश को यह सूचना देने से पहले श्रीमती गांधी ने मंत्रिमंडल की महज औपचारिक सहमति प्राप्त की, जो उनकी तानाशाही को दर्शाता है। आपातकाल लागू करते ही इंदिरा गांधी की तानाशाही शुरू हो गई। उन्होंने देश में नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया। श्रीमती गांधी द्वारा राष?ट्रवादी विचारधारा को कुचलने का कार्य किया। लोकतंत्र को बचाने के लिये प्रतिरोध करने वालों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किये गये। जनसंघ और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े नेताओं को गिरफ्तार कर 'मीसा' अर्थात आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेई और लालकृष्ण आडवाणी जैसे अनेक वरिष्ठ नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक बिना सुनवाई के लगभग 01 लाख 40 हजार से अधिक लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। लोकतंत्र की सबसे जरूरी विशेषता 'वैकल्पिक विचार' को श्रीमती इंदिरा गांधी ने राजद्रोह में बदल दिया। आपातकाल में इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका जो लोकतंत्र की रक्षा की अंतिम संस्था है, उसे भी झुकने पर मजबूर कर दिया। न्यायपालिका की स्वायत्तता को छीनने का प्रयास किया गया। सत्ता की आलोचना करने वाले अखबारों को सेंसर कर दिया गया। अनेक समाचार पत्रों के छपने पर रोक लगा दी गई। यह प्रेस की स्वतंत्रता का सबसे भयावह क्षण था। संजय गांधी के मार्गदर्शन में चलाए जाने वाला 'नसबंदी अभियान' सरकारी आतंक का प्रतीक बन गया। व्यक्तिगत सत्ता स्थायित्व के लिए संविधान में प्रजातंत्र विरोधी संशोधन किए गए।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं राजकुमार लोधी पुत्र श्री लखन लाल लोधी, आयु 44 वर्ष, पता: 32, पिरिया मोहल्ला, पिपलानी, भोपाल (म.प्र.) 462022 के पुत्र का आधार कार्ड में नाम हेमेन्द्र दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र तथा स्कूल की अंकसूचियों में नाम हेमन्त लोधी दर्ज है,जो कि सही नाम है, मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में हेमेन्द्र से परिवर्तित कर हेमन्त लोधी दर्ज किया जावे एवं भविष्य में मेरे पुत्र को हेमन्त लोधी पुत्र राजकुमार लोधी नाम से जाना पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम- हेमेन्द्र
नया नाम- हेमन्त लोधी

नाम परिवर्तन सूचना

मैं रवि जाटव, आयु 27 वर्ष, पता:- ग्राम-शेरपुर, पोस्ट-अहमदा नगर, जिला विदिशा 464401 के पुत्र का आधार कार्ड में नाम आरएल जाटव दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र में नाम आर्यन जाटव दर्ज है, जो कि सही नाम है, मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में आरएल जाटव से परिवर्तित कर आर्यन जाटव दर्ज किया जावे एवं भविष्य में मेरे पुत्र को आर्यन जाटव पुत्र रवि जाटव नाम से जाना पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम- आरएल जाटव
नया नाम- आर्यन जाटव

नाम परिवर्तन सूचना

मैं राधेश्याम पाटीदार पुत्र श्री छोगालाल पाटीदार, आयु 41 वर्ष, पता: शिव मंदिर के पास ग्राम-निम्बोल, तहसील - कुक्षी, जिला-धार (म.प्र.) 454335 के पुत्र का आधार कार्ड में नाम युवी पाटीदार दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र तथा स्कूल की अंकसूचियों में नाम युवराज पाटीदार दर्ज है, जो कि असल नाम है, मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में युवी पाटीदार से परिवर्तित कर युवराज पाटीदार दर्ज किया जावे एवं भविष्य में मेरे पुत्र को युवराज पाटीदार पुत्र राधेश्याम पाटीदार नाम से जाना पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम- युवी पाटीदार (Yuvraj Patidar) **नया नाम- युवराज पाटीदार (Yuvraj Patidar)**

नाम परिवर्तन सूचना

मैं, लाल सिंह पानसे पुत्र श्री शिवनारायण पानसे आयु 33 वर्ष, निवासी-जोगीखेड़ा, टीमागांव, जिला हरदा (म.प्र) 461228 का नाम आधार कॉर्ड में रामसिंह पानसे, पुत्र श्री शिवनारायण पानसे दर्ज है, जबकि समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम लालसिंह पानसे दर्ज है, जो कि सही नाम है, मेरा आधार कार्ड में नाम रामसिंह पानसे से श्री परिवर्तित कर लालसिंह पानसे दर्ज किया जावे, एवं भविष्य में मुझे लाल सिंह पानसे पुत्र शिवनारायण पानसे नाम से जाना पहचाना दर्ज किया जावे।

पुराना नाम- रामसिंह पानसे
नया नाम- लालसिंह पानसे

हीरालाल पाटीदार के जन्मदिवस पर सेवा और पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम आयोजित

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

पर्यावरण जलवायु संगठन परिषद भारत, मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण दत्त मिश्रा एवं जिला अध्यक्ष अजय बघेल भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता नवल प्रजापति के संयोजन में पर्यावरण जलवायु संवर्धन परिषद, मध्य प्रदेश (भारत सरकार) के अध्यक्ष हीरालाल पाटीदार के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में विविध सेवा एवं पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैंसर हॉस्पिटल, जवाहरलाल नेहरू परिसर में पौधारोपण एवं भोजन वितरण किया गया। पुष्पांजलि हॉस्पिटल में भी पौधारोपण तथा भोजन वितरण का आयोजन हुआ। रुद्रेश्वर मंदिर में पौधारोपण के साथ अभिषेक कार्यक्रम संपन्न हुआ, वहीं माध्यमिक शिशु मंदिर में निर्धन बच्चों के बीच भजन कार्यक्रम तथा पौधारोपण किया गया। उक्त सभी कार्यक्रमों में जनभागीदारी उत्साहपूर्वक रही और समाजसेवा के प्रति लोगों में जागरूकता भी दिखाई दी।

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल

करंट से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आम जनता जागरूक हों

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आम जनता से कहा कि करंट से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। इस संबंध में कंपनी ने सुरक्षा संबंधी मापदंड जारी किए हैं। विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत लाईनों से धरातल, भवनों से सुरक्षित दूरी आदि के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार मापदंड निर्धारित् हैं - आम जनता से अपील है कि अपने आवासीय परिसर अथवा स्थापनाओं से विद्युत लाइनो की दूरी उपरोक्तानुसार रखें। निम्नदाब और मध्यदाब स्थापनाओं में प्रायः व्यक्ति विद्युतमय चालक के सीधे सम्पर्क में आता है, जबकि उच्च दाब स्थापनाओं में वह विद्युतमय चालक से सीधे सम्पर्क में आने के पूर्व ही फ्लेश ओव्हर डिस्टेंस में आने से स्पार्क हो कर झुलस जाता है। इस प्रकार दुर्घटना का घातक तथा गैर घातक होना दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के ''डिग्री आफ बर्न्स'' पर निर्भर रहता है। निम्नदाब अथवा मध्यदाब स्थापनाओं में सुरक्षा के लिए साधारणतया केवल फ्यूज लगाए जाते हैं। साधारण फ्यूज अपनी क्षमता से अधिक करंट बहने पर ही गर्म हो कर पिघल जाता है, इसमें कुछ समय लगता है और यही समय ''दुर्घटनाग्रस्त'' होने के लिए घातक सिद्ध होता है, परन्तु अर्थिंग सही हो तो फ्यूज अतिशीघ्र उड़ जाता है। इसी कारण से विद्युत स्थापनाओं में अर्थिंग व्यवस्था अति महत्वपूर्ण हो जाती है। घरेलू स्थापनाओं में विद्युत दुर्घटनाएं मुख्यतः वायरिंग एवं फिटिंग में खराबी आने से तथा उपकरणों में खराबी आने से लीकेज या शार्ट-सर्किट के कारण होती है। बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि वे आई.एस.आई. मार्क के उपकरण ही उपयोग में लाएं।

विद्युत सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दें

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आम लोगों को विद्युत सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान देने को कहा है। कंपनी ने कहा है कि भवन निर्माण, कालोनी के निर्माण और रोड के विस्तार के दौरान अक्सर यह देखने में आया है कि बिजली के खम्बों को सड़क के बीच में खड़ा कर दिया जाता है या कालोनी के विद्युतीकरण के दौरान कालोनाइज़र अपनी सुविधा से बिजली के खम्बों को लगा देता है तथा सड़क विस्तार के दौरान सड़क को ऊंचा कर दिया जाता है। इस दौरान विद्युत सुरक्षा के मापदण्डों का ध्यान नहीं रखा जाता है। कई बार यह पाया जाता है कि रोड ऊंची कर ली जाती है परन्तु बिजली के खम्बों से रोड के बीच का विस्तार और दूरी को ध्यान में नहीं रखा जाता तथा सुरक्षा के नियमों को अनदेखा कर दिया जाता है। फलस्वरूप दुर्घटना की आशंका बनी रहती है और कभी-कभी दुर्घटनाएं हो भी जाती है। इस संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने मैदानी अधिकारियों से कहा है कि इस प्रकार के नियम विरूद्ध कार्यों की रोकथाम की जाए।

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र. Rs/444/0760/11132/25

इश्तहार

आवेदक मोहन वर्मा आ./पत्नि रामदयाल वर्मा निवासी ए-5/204 व्युलिप हाइट्स कजरीखेडा द्वारा ग्राम देहरीकलां स्थित खसरा नंबर 43/4/1 मेसे भू.खं. क.1 क्षेत्रफल 1375 वर्गफिट नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 07/07/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 25/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र. Rs/444/0760/1005/25

इश्तहार

आवेदक मंजुला मेंडसुरे आ./पत्नि दत्तात्राय मुजुमदार निवासी ग्राम इनायतपुरा द्वारा ग्राम इनायतपुरा स्थित खसरा नंबर 205/2, 206/2 व अन्य क्षेत्रफल 7.31 एकड का विक्रयपत्र/फौती/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 04/07/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 19/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार
तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त -2, तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 0268/अ-6/2025-26
ग्राम श्यामपुर प.ह.न.265
दिनांक 15/05/2025

:: इश्तहार ::

सर्वसाधारण आवेदक श्रीमति सपना ठाकुर पत्नी श्री मुकेश ठाकुर निवासी- मकान नं. 160 बी-1 नियर एम.सी.डी. बायज स्कूल मुनिरका विपेज दिल्ली, ने म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 2558 दिनांक 24.11.2014 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 174 के अंश भाग मे से रकबा 750 वर्गफिट भूमि स्थित ग्राम श्यामपुर प.ह.न. 26 तहसील हुजूर, जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त संबंध मे किसी व्यक्ति / सस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्याम से पेश कर सकता है । समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 30/06/2025 नियत है।

उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 23/06/2025 को जारी किया गया है।

तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त -2, तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 1098/अ-6/2025-26
ग्राम चौपड़ा कलां प.ह.नं. 30
दिनांक 05/05/2025

:: इश्तहार ::

सर्वसाधारण आवेदक श्री संतोष कुमार अहिरवार आ. श्री गनेश प्रसाद अहिरवार निवासी-205 ग्राम पथरियाजगन तहसील खुरई सागर (म.प्र.), ने म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक एम.पी.059712025ए1447276 दिनांक 26/07/2016 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 225/1/2/ख/2/1 रकबा 0.989 हे. के अंश भाग में से रकबा 600 वर्गफिट भूमि स्थित ग्राम चौपड़ा कलां प.ह.न. 30 तहसील हुजूर, जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है।

उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / सस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्याम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा । प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 30/06/2025 नियत है।

उक्त उद्घोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 23/06/2020 को जारी किया गया है।

तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

इश्तहार
(प्रारूप-4)

आम सूचना का प्रकाशन/इश्तिहार

कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल

क्रामंकः 0138/ब-121
(धारणाधिकार)/2024-25

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की आवेदक इसराइल खान पिता/पति हलीम खान जाति सामान्य निवासी 3. हुजूर, भोपाल, 68, कोलूखेडी, 0,462030 द्वारा नगरीय निकाय नगर पालिका निगम सेक्टर क्रमांक 00 ग्राम तहसील हजूर जिला भोपाल के ब्लाक क्रमांक 3 प्लाट क्रमांक 00 की शासकीय / नजूल भूमि सर्वे नंबर 266 रकबा 92.93 में से 92.93 वर्ग मीटर भूमि को स्थाई पट्टा/भूमि स्वामी अधिकार पत्र प्रदाय किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन विचारार्थ लिया गया है। उक्त आवंटन में जिस किसी को भी कोई आपत्ती हो तो वह इस इश्तिहार जारी होने के दिनांक से प्रकरण में- नियत आगामी दिनांक 18/04/2025 11:28:40 के पूर्व अथवा उक्त दिनांक को अपनी आपत्ति ऑनलाइन अथवा लिखित रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि पश्चात प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर व पद मुद्रा से जारी किया गया।

कलेक्टर
अपर कलेक्टर

इश्तिहार
(प्रारूप-4)

आम सूचना का प्रकाशन/इश्तिहार

कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल

क्रामंक:0136/ब-121
(धारणाधिकार)/2024-25

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की आवेदक निराबत खान खान पिता/पति हलीम खान जाति सामान्य निवासी 3, हुजूर, भोपाल, 57. कोलूखेडी 00.462001 द्वारा नगरीय निकाय नगर पालिका निगम सेक्टर क्रमांक 00 ग्राम तहसील हुजूर जिला भोपाल के ब्लाक क्रमांक 3 प्लाट क्रमांक 00 की शासकीय/नजूल भूमि सर्वे नंबर 57 रकबा 266 में से 266 वर्ग मीटर भूमि को स्थाई पट्टा/भूमि स्वामी अधिकार पत्र प्रदाय किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन विचारार्थ लिया गया है। उक्त आवंटन में जिस किसी को भी कोई आपत्ती हो तो वह इस इश्तिहार जारी होने के दिनांक से प्रकरण में नियत आगामी दिनांक 12/04/2025 16:35:22 के पूर्व अथवा उक्त दिनांक को अपनी आपत्ति ऑनलाइन अथवा लिखित रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि पश्चात प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 28-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व पद मुद्रा से जारी किया गया।

कलेक्टर
अपर कलेक्टर